

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2617] No. 2617] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2016/कार्तिक 12, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2016/KARTIKA 12, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

का.आ. 3369(अ).—िनम्निलिखित अधिसूचना का प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

5117 GI/2016 (1)

प्रारूप अधिसूचना

डंडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में उत्तरा कन्नड़ जिले के हलियाल, जायडा और करवार ताल्लुक में स्थित है;

और, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य (475.018 वर्ग किलोमीटर) और अंशी राष्ट्रीय उद्यान (339.866 वर्ग किलोमीटर) एक दूसरे के संसक्त हैं और जैवीय रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाटों में अवस्थित संरक्षित क्षेत्र का एकल भू भाग है;

और, संपूर्ण डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती (डीएटीआर) जिसमें 814.884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38फ के उपबंधों के लिए आदेश संख्या एफईई299एफडब्ल्यूएल 2007, तारीख 20 दिसंबर, 2007 द्वारा राज्य सरकार क्रोड/संकटपूर्ण बाघ प्राकृतिक वास घोषित किया गया था;

और, इन दोनों संरक्षित क्षेत्रों को वर्ष, 2007 में शासन आदेश संख्या एफईई 254 एफडब्ल्यूएल 2006, तारीख 4 जनवरी, 2007 द्वारा डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती (डीएटीआर) के अधीन प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया है:

और, डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित वनों के बाघ संरक्षण स्थलाकृति का 8,800 वर्ग किलोमीटर के निकट का भाग है और डंडेली वन्यजीव अभयारण्य उत्तर में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है जो आगे महाराष्ट्र में राधा नगरी तथा कोयना वन्यजीव अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। पश्चिम की ओर गोवा के समीप डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती में पांच संरक्षित क्षेत्र हैं;

और, डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती दुर्लभ स्थानिक वनस्पित और प्राणिजात के लिए गृह है और पाई गई वनस्पित का मुख्य भाग विशिष्ट दक्षिण भारतीय किस्म के मांसाहारी भांति का है और महत्वपूर्ण वनस्पित के अंतर्गत बाघ, तेंदुआ, ढोले, सियार, हाथी, गौर, संबर मृग, धारीदार मृग, मुंजक, पिसूरी, रीछ, हनुमान लंगूर, लघु पुच्छ वानर, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी, साल आदि हैं;

और, डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती में कम से कम 272 पक्षी प्रजातियों का पर्यावास है जो 45 परिवारों से संबंधित है जिसमें 19 प्रजातियां स्थानिक हैं और यहां बृहत् भारतीय तितली-दक्षिणी पक्षीपंख के स्थानिक मालाबार वृक्ष निम्फ़ अच्छी जनसंख्या में पाये जाते हैं और चर्चित पक्षियों में सामान्य ग्रे धनेश, मालाबार ग्रे धनेश, मालाबार पाइड धनेश. ग्रे भारतीय पाइड धनेश और साइलॉन फ्रोगमाउथ सम्मिलित है:

और, अंशी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मुख्यत वनों के प्रकारों में उष्णकिटबंधीय सदाहरित और अर्ध सदाहरित है और यह छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचरों, तितिलयों, आर्किडों, पिक्षयों, औषधी जड़ी-बूटियों और कीड़े-मकोडों के लिए पर्यावास है और इसमें किंग कोबरा, अजगर, कोबरा, रैट सांप, वाइपर (बाँस पिट वाइपर, हम्प नोस्ड पिट वाइपर, मालाबार पिट वाइपर आदि), ऑरनेट फ्लाइंग सांप, वूल्फ सांप और करैत सांपों के साथ-साथ और अन्य जैसे ड्राको सम्मिलित है;

और, राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अपने आदेश संख्या एफईई-16-एफडब्ल्यूएल-2008, तारीख 21 अगस्त, 2009 और अधिसूचना संख्या एफईई 123 एफडब्ल्यूएल 009, तारीख 1 सितंबर, 2010 द्वारा डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती के 282.63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मध्यवर्ती जोन के रूप में अधिसूचित किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती की सीमा के चारों ओर 7 किलोमीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्वी और दिक्षणी भागों में 7 किलोमीटर तक के विस्तार सिहत 1201.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है और इंडेली अंशी बाघ आरिक्षती उत्तर अक्षांश 14°52'29.40" और 15°31'27.94" तथा पूर्व देशांतर 74°14'53.10" और 74°43'53.30" के बीच स्थित है और गोवा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के कारण पश्चिमी भाग में कोई पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के कारण उत्तरी भाग में भी कोई पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है तथा ऐसे जोन की सीमा के वर्णन उपाबंध I में दिया गया है।
- (2) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र सहित **उपाबंध ॥** के रूप में संलग्न है।
- (3) प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध III में दी गई है।
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर और साथ ही अभायरण्य पर मुख्य अवस्थित (बिंदु) **उपाबंध IV** में दिए गए हैं।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) पर्यावरण:
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिका ;
 - (vi) राजस्व;
 - (vii) कृषि;
 - (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी।

- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास का विनियमन करेगी ताकि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक अनुकूल विकास का उनके जीवकोपार्जन को संरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय** —राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—
- (1) भू-उपयोग —पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12, 18, 24, 33 और 36 के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थातु:-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :—

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत —पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल —पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (7) **वायु प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा :—
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपिशष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपिशष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन.— परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां.—(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	•
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नई मुख्य जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जिसके अंतर्गत नाशक जीवमार और कीटनाशी भी है का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
	निस्सारण ।	
8.	ठोस अपशिष्टों का निपटान ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की कोई स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी :
		परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण
		उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
10.	पवन चक्कियों और मोबाइल टावरों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
		विनियमित क्रियाकलाप
11.	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं:
		परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
13.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी: ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
		एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण
		करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केबल बिछाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। (ii) 11 केवी तक घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनों को भविष्य में भूमिगत बिछाया जाएगा। (iii) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के लिए टावरों के बीच "अवतलन"बिंदु भूमि से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	नई सड़कों का संनिर्माण विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू– क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहिस्त्रावों का पुनःचक्रण को प्रोत्साहन दिया जाएगा और गाद या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।
23.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और
	उद्योग ।	सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय
		माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर
		कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	उत्पादों का संग्रहण ।	
26.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि	
	द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के	
	ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप ——	
	करना। मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	*`
30.		लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
	व्यवसायों के साथ पश्पालन,	
	9	
	पशुपालन कृषि, जल कृषि और	
	मछली पालन।	
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
	ग्रामीण कारीगर और अन्य	
	कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	
37.		बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
	उपयोग ।	मिल्य कम मे बदाबा विभा जनगण ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

- 5. मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के अनुपालन को मानीटर करने के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति होगा, अर्थात् :-
 - (2) ऊपर पैरा (1) में निर्दिष्ट मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

(i) क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगाम	– अध्यक्ष;
(ii) विधानसभा सदस्य, जायडा, निर्वाचन क्षेत्र	- सदस्य;
(iii) विधानसभा सदस्य, करवार, निर्वाचन क्षेत्र	- सदस्य;
(iv) विधानसभा सदस्य, येलापुर, निर्वाचन क्षेत्र	- सदस्य;
(v) विधानसभा सदस्य, हलियाल, निर्वाचन क्षेत्र	- सदस्य;
(vi) पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार	- सदस्य;
(vii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य;
(viii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	- सदस्य;
(ix) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, करवार	- सदस्य;
(x) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से कर्नाटक सरकार द्वारा	
नामर्निदिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	- सदस्य;
(xi) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, करवार	- सदस्य;
(xii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	- सदस्य;
(xiii) वन संरक्षक और निदेशक, डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती, डंडेली	- सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :

- (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा ।
 - (2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[एफ. सं. 25/29/2016-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध I</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर-पूर्व: पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा कैस्टलरॉक वन्यजीव श्रेणी सीमा के उत्तर-पूर्व भूभाग से आरंभ होकर जहाँ यह देवल्ली (टीनाईघाट) ग्राम की उत्तर पश्चिम सीमा को छूती है और इसके बाद यह देवल्ली ग्राम की सीमा के साथ यह कामरा ग्राम सीमा को छूती है। सीमा इसके बाद कामरा ग्राम सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और कामरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर, यह सूपा अप्रवाही जल को छूती है। इसके बाद यह सूपा जलाशय के अप्रवाही जल के साथ जाती है फिर यह करनजायडा ग्राम की उत्तरी सीमा को छूती है। इस बिंदु से यह करनजायडा ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है, फिर यह

देरिया ग्राम पहुँचती है। देरिया ग्राम सीमा से यह देवली (जायडा), कतेल, थिन्नाईखांड ग्रामों की सीमा के साथ पूर्वी भाग की ओर जाती है, फिर यह हुदसा ग्राम की पश्चिमी सीमा को छूती है। सीमा इसके बाद हुदसा, सनगवे, गवेगली ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ जाती है, फिर यह बादाकंशिरदा ग्राम के निकट हार्निबेल संरक्षण रिज़र्व सीमा को छूती है। इसके बाद यह बादाकंदिशरदा, हरनोदा ग्रामों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर फिर यह बदाशिरगुर ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा को छूती है। इसके बाद यह बोम्मानाहल्ली जलाशय की उत्तर पश्चिम सीमा को छूती है और बोम्मानाहल्ली जलाशय की सीमा के साथ जाती है और फिर यह अदिगेरा ग्राम पहुँचती है।


पूर्व: बोम्मानाहल्ली जलाशय के ऊपर बिंदु से जहाँ यह अदिगेरा ग्राम की उत्तर सीमा को छूकर यह बोम्मानाहल्ली जलाशय की सीमा के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है, फिर यह अदिगेरा ग्राम के उत्तर पूर्व भूभाग पहुँचती है। इसके बाद यह अदिगेरा ग्राम की सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाकर, और यह लालगूली ग्राम सीमा पहुँचती है।

दक्षिण-पूर्व: लागूली ग्राम से सीमा दक्षिण पश्चिम भाग की ओर जाती है फिर यह घोतगुली ग्राम और नगरखान ग्राम पहुँचती है। इस बिंदु से पुन: यह दक्षिण की ओर मुड़कर फिर यह कोदसली अप्रवाही जल की दक्षिणी सीमा के बरबल्ली ग्राम सीमा से और कट्टिगे ग्राम, बरबल्ली ग्राम पहुँचती है। कोदसली अप्रवाही जल बिंदु से जहाँ यह देवकर ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा को छूकर यह देवकर ग्राम की सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाकर और देवकर ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ती है, फिर यह कदरा अप्रवाही जल को छूती है।

दक्षिण: देवकर ग्राम और कदरा अप्रवाही जल की दक्षिणी सीमा से यह कदरा अप्रवाही जल की सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है फिर यह कदरा ग्राम सीमा पहुँचती है। कदरा ग्राम से यह कदरा ग्राम की सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाकर, फिर यह गोयर ग्राम सीमा को छूती है। गोयर ग्राम से यह गोयर ग्राम की सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर, फिर यह डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती के पश्चिमी भाग की ओर गोवा राज्य सीमा पहुँचती है।

<u>उपाबंध II</u>

अक्षांश और देशांतर और जीपीएस निर्देशांकों के साथ डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



<u>उपाबंध III</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तालुका	ग्राम के नाम	विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणी
1	जायडा	पयासवाड़ी	1262.00	15.44325	74.38557	सम्पूर्ण ग्राम
2	जायडा	देवाल्ली	312.40	15.43378	74.41532	सम्पूर्ण ग्राम
3	जायडा	कामरे	191.74	15.39456	74.37339	सम्पूर्ण ग्राम
4	जायडा	लियेधा बे	197.81	15.36750	74.39199	सम्पूर्ण ग्राम
5	जायडा	करन जायडा	3401.32	15.20181	74.41904	सम्पूर्ण ग्राम
6	जायडा	कतेल	550.00	15.14060	74.40924	सम्पूर्ण ग्राम
7	जायडा	चपोली (के)	1510.75	15.13147	74.44305	सम्पूर्ण ग्राम
8	जायडा	देवली	19.97	15.14432	74.45861	सम्पूर्ण ग्राम
9	जायडा	अम्बरदा	267.00	15.12741	74.47619	सम्पूर्ण ग्राम
10	जायडा	हुदसा	94.22	15.14635	74.52218	सम्पूर्ण ग्राम
11	जायडा	पोटोलीसंगवे	124.27	15.18794	74.54856	सम्पूर्ण ग्राम
12	जायडा	वीरनोली	1951.00	15.18592	74.60232	आंशिक ग्राम
13	हलियाल	बदकंसिरदा	1524.00	15.17746	74.64425	आंशिक ग्राम
14	हलियाल	होसा-कुम्बरकोप	0.00	15.21635	74.64324	सम्पूर्ण ग्राम
15	हलियाल	हरनोदा	73.77	15.19910	74.67029	सम्पूर्ण ग्राम
16	हलियाल	मलवाड़	187.23	15.18930	74.67367	सम्पूर्ण ग्राम
17	हलियाल	कलभवी	12.26	15.17374	74.67266	सम्पूर्ण ग्राम
18	हलियाल	बोम्मनाहल्ली	119.36	15.16935	74.72710	सम्पूर्ण ग्राम
19	हलियाल	अदिगेरा	107.96	15.12031	74.74401	आंशिक ग्राम
20	येल्लापुर	लालगुली	214.14	15.07500	74.70512	सम्पूर्ण ग्राम
21	येल्लापुर	घोतागुली	7.19	15.06283	74.66387	सम्पूर्ण ग्राम
22	येल्लापुर	नगरखान	47.02	15.02766	74.61957	सम्पूर्ण ग्राम
23	येल्लापुर	हिरीयाली	603.00	14.98404	74.59049	आंशिक ग्राम
24	येल्लापुर	कतगी	190.69	14.93433	74.56715	आंशिक ग्राम
25	येल्लापुर	बारबल्ली	594.84	15.03510	74.61991	आंशिक ग्राम
26	येल्लापुर	कोदासल्ली	232.77	14.90626	74.52522	आंशिक ग्राम
	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	13796.71				

<u>उपाबंध IV</u>

क. डंडेली अंशी बाघ आरक्षिती के जीपीएस मुख्य अवस्थान (डंडेली वन्यजीव अभयारण्य एवं अंशी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	15.5253	74.2846
2	15.5145	74.3441
3	15.4809	74.3753
4	15.4258	74.3475
5	15.3814	74.3564
6	15.3123	74.4062
7	15.2641	74.4772
8	15.2845	74.3769
9	15.2548	74.4409
10	15.1796	74.4116
11	15.1213	74.4143
12	15.1205	74.5305
13	15.1857	74.5563
14	15.1595	74.5864
15	15.1668	74.6740
16	15.1495	74.6883
17	15.1672	74.7176
18	15.0858	74.7296
19	15.0831	74.7161
20	15.1043	74.7030
21	15.0785	74.6474
22	15.0291	74.6011
23	14.9504	74.5629
24	14.9241	74.5336
25	14.9195	74.4969
26	14.8825	74.4533
27	14.8736	74.4186
28	14.9581	74.2557

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन पर मुख्य अवस्थान (भूमण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	15.4835	74.3882
2	15.4707	74.4181
3	15.4039	74.4383
4	15.3748	74.4447
5	15.3489	74.41707
6	15.3067	74.45452
7	15.3411	74.44743
8	15.3215	74.47645
9	15.3131	74.49365
10	15.2783	74.51019
11	15.2443	74.52874
12	15.2038	74.522
13	15.2335	74.51187
14	15.1964	74.49534
15	15.1822	74.47409
16	15.2190	74.48016
17	15.2480	74.47274
18	15.2267	74.4697
19	15.2223	74.44608
20	15.1788	74.45351
21	15.1559	74.44473
22	15.1498	74.45519
23	15.1370	74.47712
24	15.1481	74.49838
25	15.1754	74.52604
26	15.2045	74.54865
27	15.2274	74.55708
28	15.2122	74.58306
29	15.2230	74.60128
30	15.2399	74.61242
31	15.2402	74.65155
32	15.2169	74.70081
33	15.1859	74.71127
34	15.1741	74.73354
35	15.1579	74.75952
36	15.0989	74.77504
37	15.0847	74.74703
38	15.0378	74.72274

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
39	15.0570	74.69643
40	15.0314	74.63941
41	15.0165	74.61579
42	14.9652	74.60736
43	14.9237	74.57328
44	14.8822	74.51761
45	14.8448	74.48826
46	14.8657	74.37793
47	14.8595	74.40863
48	14.8963	74.27165
49	14.9313	74.28177
50	14.9583	74.25175

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.— की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, 2nd November, 2016

S.O.3369(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified

to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Dandeli Wildlife Sanctuary and Anshi National Park are situated in Haliyal, Joida, and Karwar taluk's of Uttara Kannada district in the State Karnataka state;

AND WHEREAS, Dandeli Wildlife Sanctuary (475.018 square kilometre) and Anshi National Park (339.866 square kilometre) are contiguous to each other and form a single tract of protected area located in biologically sensitive Western Ghats;

AND WHEREAS, the entire Dandeli-Anshi Tiger Reserve (DATR) with an area of 814.884 square kilometre was notified as Core/Critical Tiger Habitat by the State Government vide Order No. FEE 299 FWL 2007 dated 20-12-2007 under the provisions of the Section 38V of the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972);

AND WHEREAS, these two protected areas are administratively unified under Dandeli-Anshi Tiger Reserve (DATR) in the year 2007 vide G.O No. FEE 254 FWL 2006 dated 04-01-2007;

AND WHEREAS, Dandeli-Anshi Tiger Reserve is part of nearby 8,800 square kilometre of tiger conservation landscape of protected areas and reserved forests and the Dandeli Wildlife Sanctuary abuts Bhimghad Wildlife Sanctuary in the north, which is further connected to Radhanagari and Koyna Wildlife Sanctuaries in Maharashtra. To the west five protected areas in Goa adjoin Dandeli-Anshi Tiger Reserve;

AND WHEREAS, Dandeli-Anshi Tiger Reserve is home to rare endemic flora and fauna and the major part of the fauna found is of typical South Indian type carnivores and the important fauna includes Tiger, Leopard, Dhole, Jackal, Elephant, Gaur, Sambar Deer, Spotted Deer, Barking deer, Mouse Deer, Sloth Bear, Hanuman Langur, Bonnet Macaque, Indian Giant Squirrel, Flying Squirrel, Pangolin, etc.;

AND WHEREAS, Dandeli-Anshi Tiger Reserve provides a habitat for at least 272 bird species belonging to 45 families of which 19 species are endemic and the largest Indian butterfly-Southern Birdwing to the endemic Malabar Tree Nymph are found in good population and the interesting birds include Common Grey Hornbill, Malabar Grey Hornbill, Malabar Pied Hornbill, Great Indian Pied Hornbill and Ceylon Frogmouth;

AND WHEREAS, Anshi National Park comprises of mostly tropical evergreen and semi-evergreen types of forests and is a habitat for small mammals, reptiles, amphibians, butterflies, orchids, birds, ferns, medicinal herbs and insects and these include the King Cobra, Python, Cobra, Rat Snake, Vipers (Bamboo Pit Viper, Hump-nosed Pit Viper, Malabar Pit Viper, etc.), Ornate flying snake, Wolf snake and Kraits amongst the snakes that and other such as Draco;

AND WHEREAS, The State Government under section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 53 of 1972) vide its order no. FEE-16-FWL-2008 dated: 21-8-2009 and Notification No. FEE 123 FWL 009 dated: 1-9-2010, notified an area of 282.63 square kilometre as Buffer zone of the Dandeli-Anshi Tiger Reserve;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers 3 conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto seven kilometers around the boundary of the Dandeli-Anshi Tiger Reserve in the State of Karnataka as the Dandeli-Anshi Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1201.94 square kilometers with an extent up to seven kilometers on the Eastern and Southern sides and the Dandeli-Anshi Tiger Reserve lies between the North Latitudes 14°52'29.40" and 15°31'27.94" and between the East Longitudes 74°14'53.10" and 74°43'53.30" and there is no Eco-sensitive Zone proposed on the western side due to interstate boundary with Goa,

and also no Eco-sensitive Zone proposed on the northern side due to Bhimgadh Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is given in Annexure II.
- (3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is given in **Annexure-III.**
- (4) Key locations (points) on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the sanctuary are given in **Annexure-IV.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Karnataka State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—
- (1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 33 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas
- (3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government of Karnataka.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Dandeli-Anshi Tiger Reserve Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Ecofriendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-define and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes.— Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units**..—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil and noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
Prohibited Activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use.		
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated, 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition(Civil) No. 435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.		
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
8.	Disposal of solid wastes.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:		
		Provided that the existing wood- based industry may continue as per law:		

		Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Erection of wind mills and mobile towers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
11.	Uses of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Ecofriendly tourism activities.
		However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:
		Provided that the local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any:
		Provided also that beyond one kilometer upto the extent of Ecosensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.

	T	T
		(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;
		(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the
		amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;
		(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted;
		(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any sources including agriculture.
16.	Erection of electrical cables,	(i) Promote underground cabling.
	transmission lines and telecommunication towers.	(ii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground.
		(iii) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Ecosensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest Produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.

27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
28.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
29.	Fishing.	Regulated under applicable laws.
30	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
31	Eco Tourism.	Regulated under applicable laws.
	Promoted Activities	
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Environment Awareness .	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-

- 1. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called as the Dandeli-Anshi Tiger Reserve Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance of this notification.
- 2. The Monitoring Committee referred to in sub-paragraph (1) above shall consist of the following members, namely:

(i)	Regional Commissioner, Belgaum		
(ii)	Member of Legislative Assembly, Joida Constituency	- Member;	
(iii)	Member of Legislative Assembly, Karwar Constituency	- Member;	
(iv)	Member of Legislative Assembly, Yellapur Constituency	- Member;	
(v)	Member of Legislative Assembly, Haliyal Constituency	- Member;	
(vi)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	– Member;	
(vii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka;	-Member;	
(viii)	Representative of Non-governmental Organisations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	-Member;	
(ix)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Karwar;	-Member;	
(x)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forest, Government of India	- Member;	
(xi)	Deputy Commissioner or his representative, Karwar	-Member;	
(xii)	Member State Biodiversity Board	- Member;	

(xiii) The Conservator of Forests and Director, Dandeli- Anshi Tiger Reserve, Dandeli - Member Secretary.

6. Terms of Reference:

- (1) The tenure of the Monitoring Committee is for three (3) years.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/29/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE:

North-East: The Eco-sensitive Zone boundary starts at the North East Corner of the Castlerock Wildlife Range boundary where it touches the North West boundary of the Devalli (Tinaighat) village and then it runs all along the boundary of the Devalli village until it touches the Kamra village boundary. The boundary then turns towards the North East direction along the Kamra village boundary and moves all along the Eastern boundary of Kamra village, until it touches the Supa Backwaters. Then it runs all along the backwater of Supa reservoir till it touches the Northern boundary of Karanjoida village. From that point it runs towards south direction all along the western boundary of the Karanjoida village, until it reaches the Deriya village. From Deriya village boundary it runs towards the eastern side all along the boundary of Devali (Joida), Katel, Thinnaikhand villages, until it touches the western boundary of Hudsa village. The boundary then runs all along the Northern boundary of the Hudsa, Sangave, Gavegali villages, until it touches the Hornbill Conservation Reserve boundary near Badakanshirda village. Then it moves towards the South east direction all along the Badakanshirda, Harnoda villages until it touches the Badashirgur village North East boundary. Then it touches the North West boundary of Bommanahalli reservoir and runs all along the boundary of Bommanahalli reservoir and until it reaches the Addigera village.


East: From the above point of Bommanahalli reservoir where it touches the North boundary of Addigera village it runs towards the Eastern direction all along the boundary of Bommanahalli reservoir, until it reaches the North East corner of the Addigera village. Then it runs towards South direction all along the boundary of Addigera village, and it reaches the Lalguli village boundary.

South-East: From Laguli village the boundary runs towards the South west side until it reaches the Ghotguli village and Nagarkhan village. From that point again it turns towards South until it reaches Kattige village, Barballi village and from Barballi village boundary to Southern boundary of Kodsalli backwater. From the point of Kodsalli Backwater where it touches the North East boundary of Devkar village it runs towards southern direction all along the boundary of Devkar village and moves towards the western direction all along the southern boundary of Devkar village, until it touches the Kadra backwater.

South: From Devkar village and the Southern boundary of Kadra backwater it runs towards the Western direction all along the boundary of Kadra Backwater until it reaches the Kadra village boundary. From the Kadra village it runs towards the western direction all along the boundary of Kadra village, until it touches the Goyar village boundary. From Goyar village it moves towards the Western direction all along the boundary of Goyar village, until it reaches the Goa state boundary towards the western side of the Dandeli-Anshi Tiger Reserve.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DANDELI-ANSHI TIGER RESERVE WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES



ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Taluka	Village Name	Extent (Ha)	Latitude	Longitude	Remarks
1	Joida	Payasvadi	1262.00	15.44325	74.38557	Entire Village
2	Joida	Devalli	312.40	15.43378	74.41532	Entire Village
3	Joida	Kamare	191.74	15.39456	74.37339	Entire Village
4	Joida	IliyeDhabe	197.81	15.36750	74.39199	Entire Village
5	Joida	Karanjoida	3401.32	15.20181	74.41904	Entire Village
6	Joida	Katel	550.00	15.14060	74.40924	Entire Village
7	Joida	Chapoli(K)	1510.75	15.13147	74.44305	Entire Village
8	Joida	Devali	19.97	15.14432	74.45861	Entire Village
9	Joida	Ambarda	267.00	15.12741	74.47619	Entire Village
10	Joida	Hudsa	94.22	15.14635	74.52218	Entire Village
11	Joida	Potolisangve	124.27	15.18794	74.54856	Entire Village
12	Joida	Virnoli	1951.00	15.18592	74.60232	Partial Village
13	Haliyal	Badakansirda	1524.00	15.17746	74.64425	Partial Village
14	Haliyal	Hosa-Kumbarkop	0.00	15.21635	74.64324	Entire Village
15	Haliyal	Harnoda	73.77	15.19910	74.67029	Entire Village
16	Haliyal	Malwad	187.23	15.18930	74.67367	Entire Village
17	Haliyal	Kalbhavi	12.26	15.17374	74.67266	Entire Village
18	Haliyal	Bommanahalli	119.36	15.16935	74.72710	Entire Village
19	Haliyal	Addigera	107.96	15.12031	74.74401	Partial Village
20	Yellapur	Lalaguli	214.14	15.07500	74.70512	Entire Village
21	Yellapur	Ghotaguli	7.19	15.06283	74.66387	Entire Village
22	Yellapur	Nagarkan	47.02	15.02766	74.61957	Entire Village
23	Yallapur	Hiriyal	603.00	14.98404	74.59049	Partial Village
24	Yellapur	Katagi	190.69	14.93433	74.56715	Partial Village
25	Yellapur	Barballi.	594.84	15.03510	74.61991	Partial Village
26	Yellapur	kodasalli	232.77	14.90626	74.52522	Partial Village
	TOTA	AL AREA in Ha.	13796.71			

ANNEXURE-IV

A. GPS KEY LOCATIONS OF DANDELI- ANSHI TIGER RESERVE (INCLUDING DANDELI WILDLIFE SANCTUARY & ANSHI NATIONAL PARK)

Map Id	Latitude	Longitude
1	15.5253	74.2846
2	15.5145	74.3441
3	15.4809	74.3753
4	15.4258	74.3475
5	15.3814	74.3564
6	15.3123	74.4062
7	15.2641	74.4772
8	15.2845	74.3769
9	15.2548	74.4409
10	15.1796	74.4116
11	15.1213	74.4143
12	15.1205	74.5305
13	15.1857	74.5563
14	15.1595	74.5864
15	15.1668	74.6740
16	15.1495	74.6883
17	15.1672	74.7176
18	15.0858	74.7296
19	15.0831	74.7161
20	15.1043	74.7030
21	15.0785	74.6474
22	15.0291	74.6011
23	14.9504	74.5629
24	14.9241	74.5336
25	14.9195	74.4969
26	14.8825	74.4533
27	14.8736	74.4186
28	14.9581	74.2557

B. Key locations (Global Positioning System Points) on the Eco-sensitive Zone

Map ID	Latitude	Longitude
1	15.4835	74.3882
2	15.4707	74.4181
3	15.4039	74.4383
4	15.3748	74.4447
5	15.3489	74.41707
6	15.3067	74.45452
7	15.3411	74.44743

Map ID	Latitude	Longitude	
8	15.3215	74.47645	
9	15.3131	74.49365	
10	15.2783	74.51019	
11	15.2443	74.52874	
12	15.2038	74.522	
13	15.2335	74.51187	
14	15.1964	74.49534	
15	15.1822	74.47409	
16	15.2190	74.48016	
17	15.2480	74.47274	
18	15.2267	74.4697	
19	15.2223	74.44608	
20	15.1788	74.45351	
21	15.1559	74.44473	
22	15.1498	74.45519	
23	15.1370	74.47712	
24	15.1481	74.49838	
25	15.1754	74.52604	
26	15.2045	74.54865	
27	15.2274	74.55708	
28	15.2122	74.58306	
29	15.2230	74.60128	
30	15.2399	74.61242	
31	15.2402	74.65155	
32	15.2169	74.70081	
33	15.1859	74.71127	
34	15.1741	74.73354	
35	15.1579	74.75952	
36	15.0989	74.77504	
37	15.0847	74.74703	
38	15.0378	74.72274	
39	15.0570	74.69643	
40	15.0314	74.63941	
41	15.0165	74.61579	
42	14.9652	74.60736	
43	14.9237	74.57328	
44	14.8822	74.51761	
45	14.8448	74.48826	
46	14.8657	74.37793	
47	14.8595	74.40863	

Map ID	Latitude	Longitude
48	14.8963	74.27165
49	14.9313	74.28177
50	14.9583	74.25175

Annexure -V

Performa of Action Taken Report:

- 1. Number and date of meetings:
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan:
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
- 8. Any other matter of importance: